पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2338 **दिनांकित 8 जुलाई, 2025**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बोर्ड की टिप्पणी - के संबंध में

महोदय/ महोदया,

यह दिनांक 29 मई, 2025 के एनएसई पत्र और बीएसई ईमेल के संदर्भ में है, जो आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") द्वारा निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के संबंध में है, जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के तहत निर्धारित है।

स्टॉक एक्सचेंजों की सलाह के अनुसार, गैर-अनुपालन का उपरोक्त मामला 25 जून, 2025 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया, जिसमें बोर्ड ने निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन की स्थिति और उससे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर ध्यान दिया।

इस संबंध में, बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की कि आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। बोर्ड ने यह भी कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया है कि वे कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दें और इस संबंध में कोई और जुर्माना/दंड न लगाएँ, क्योंकि यह मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है और कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इसके अलावा, हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

इसके अलावा, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 17 अप्रैल, 2025 से कंपनी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना की आवश्यकता का अनुपालन कर रही है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti Shubhra Amitabh

Digitally signed by Jyoti Shubhra Amitabh
DN: c=IN, o=Personal,CID - 6992566,
pseudonym=20240829162233235,
2.5.4.20=96ed5c3c20972a0f47df962fdc4a780c9e9024cf91b3ff6f7d5f85abae7d85

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न: एनएसई पत्र और बीएसएफ ईमेल दिनांक 29 मई, 2025